न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : सैयद शीराज़ अली जैदी (आर0ए0एस0)
वाद सं0 : 52 सन 2019
अनवान :–

1. महेन्द्रसिह पुत्र हनुमान जाति जाट साकिन सोनडी तहसील नोहर।

बनाम

1. कलावती पत्नि हनुमान जाति जाट निवासी सोनडी तहसील नोहर।
2. गोपीराम पुत्र हनुमान जाति जाट निवासी सोनडी तहसील नोहर।
3. इन्द्रा पुत्री हनुमान जाति जाट निवासी सोनडी तहसील नोहर।
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर।

प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 ।
उपस्थित : श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता वादी
निर्णय दिनांक :– 20.02.2019

वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद पेश किया जाकर निवेदन किया कि रोही मौजा सोनडी के खाता संख्या 376/362 के खसरा न0 3666 की 3.6040हैक खसरा न0 667/2 की 3.3760हैक , खसरा न0 668/2 की 3.3010हैक , खसरा न0 670 की 3.5410हैक खसरा न0 768 की 2.9590हैक खसरा न0 770 की 2.9590हैक , खसरा न0 771 की 3.0350हैक खसरा न0 772 की 2.8840हैक भूमि जिसके हनुमान पुत्र फरसाराम सयुक्त तौर से 169.33 हिस्सा भूमि के खातेदार काश्तकार है।

हनुमान पुत्र फरसाराम का देहान्त हो गया है बाद फोतदगी उनके जायज वारिसान वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 है तथा उनकी जगह उनके विधिक उतराधिकारी वादग्रस्त भूमि के खातेदार काश्तकार है।

वादी के दादा फरसाराम के देहान्त होने के बाद विरास्तन से वाद भूमि उनके पुत्रों पर औद हुई रोही मौजा सोनडी के खाता संख्या 376/362 की कुल 25.6590हैक भूमि में सयुक्त तौर से 169.33 हिस्सा भूमि में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 बहिब के खातेदार काश्तकार है तथा प्रतिवादी संख्या 3 इन्द्रा जो कि वादी व प्रतिवादी सख्या 2 की बहन है प्रतिवादी संख्या 1 वादी की माता एवं प्रतिवादी संख्या 2 वादी का भाई है ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग किया जा चुका है इसलिये वाद भूमि का वादी अकेला खातेदार काश्तकार है वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 को तलब किया गया तत्पश्चात प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 स्वय न्यायालय में उपस्थित होकर वादी के वाद को स्वीकार किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 ने निवेदन किया की वाद भूमि पूर्व में वादी के दादा फरसाराम के नाम से दर्ज थी जिनके देहान्त होने के बाद विरास्तन से प्रतिवादी संख्या 1 जो वादी का पिता है के नाम से दर्ज हुई है जिनका भी देहान्त हो चुका है जिसके वारिस वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 है जो वाद भूमि के हकदार है तथा प्रतिवादी संख्या 1 जो वादी की

...2....पर

महेन्द्रसिंह

बहन है तथा प्रतिवादी संख्या 1 वादी की माता एवं प्रतिवादी संख्या 2 वादी का भाई है ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादी के पक्ष में किया जा चुका है इसलिये वाद भूमि वादी के हक हिस्सा की भूमि है जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है जिसे उनके नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है व अपने कथनों के समर्थन में राजीनामा पेश किया जा चुका है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया राजस्व रिकार्ड में वाद भूमि वादी के पिता हनुमान के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज थी वादी के पिता हनुमान का देहान्त हो चुका है जिसके विधिक उतराधिकारी वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 है जो मृत्यू प्रमाण पत्र एवं वारिस प्रमाण पत्र से साबित है तथा वादी का कथन है कि प्रतिवादी संख्या 1 जो वादी की माता एवं प्रतिवादी संख्या 2 जो वादी का भाई एवं प्रतिवादी संख्या 3 जो वादी की बहन है ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादी के पक्ष किया हुआ है वादी के कथनों को प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 ने स्वीकार किया जाकर निवेदन किया की उन्हाने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादी के पक्ष में किया हुआ है वाद भूमि वादी के हक हिस्सा की भूमि है जिसे उसके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है व अपने कथनों के समर्थन में इकबाल पेश किया जा चुका है।

कार वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 ने स्वीकार करने के कारण काबिल डिक्री है किन्तु प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 ने अपने हकों का त्याग किया गया है इसलिये राज्यहकों की सुरक्षा हेतु स्टाम्प डयूटी कायम की जानी उचित है ।

अतः वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों एवं आपसी सहमति के आधार पर वादी का वाद डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा सोनडी के खाता संख्या 376/362 की कुल 25.6590हैक भूमि में मृतक हनुमान के नाम दर्ज 169.33 हिस्सा भूमि का वादी अकेला खातेदार काश्तकार है मृतक हनुमान का नाम कलमजन किया जात है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 5000/- रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो वाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आश्य की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 20.02.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया ।

सत्यमेव जयते

Sd/- Ajay

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)